राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 25–11–2022 की कार्यसूची।

मद संख्या–01

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड की बैठक दिनांक 13–07–2022 के अनुपालन में की गयी कार्यवाही का अनुमोदन।

मद संख्या–02

सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम–58 में दिये गये प्राविधानानुसार प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए गए परमिटों के मामले में पारित आदेशों का अनुमोदन :–

(क) सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक **01–07–2022 से 31–10–2022** तक मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–87, 88 (8) एवं 88 (9) के अन्तर्गत जारी किये गये अस्थाई परमिट :–

क्र0 सं0	परमिटों का प्रकार	परमिटों की संख्या
1	अन्तर्राज्यीय मार्गों पर हरियाणा राज्य परिवहन निगम एवं पेपसू रोड ट्रान्सपोर्ट कोरपोरेशन, पंजाब की बसों के चार माह की अवधि हेतु जारी किये गये सवारी गाड़ी परमिटों के अस्थाई प्रतिहस्ताक्षर संख्या।	**34**
2	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–87 के अन्तर्गत सहारनपुर–बड़कोट मार्ग पर जारी किये गये अस्थाई सवारी गाड़ी परमिटों की संख्या।	**01**
3	मुरादाबाद–काशीपुर–रामनगर एवं सहबद्ध मार्ग पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी स्थायी परमिटों को अस्थायी प्रतिहस्ताक्षर।	**02**
4	नगीना–काशीपुर मार्ग पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी स्थायी परमिटों को अस्थायी प्रतिहस्ताक्षर।	**28**
5	सहारनपुर–विकासनगर मार्ग पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी स्थायी परमिटों को अस्थायी प्रतिहस्ताक्षर।	**82**

6	मुजफ्फरनगर–सहारनपुर के सहबद्ध मार्ग गागलहेडी–धौलचौरा–भगवानपुर–इकबालपुर–रूड़की पर उत्तरप्रदेश राज्य द्वारा जारी स्थायी परमिटों को अस्थायी प्रतिहस्ताक्षर।	**30**

(ख) सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक **01–07–2022 से 31–10–2022** तक जारी किए गये समस्त भारतवर्ष/उत्तराखण्ड के मोटर कैब, मैक्सी कैब, ठेका बसों के स्वीकृत एवं उक्त श्रेणी के नवीनकृत किये गये परमिटों की संख्या :–

क्र0सं0	परमिटों का प्रकार	परमिटों की संख्या
1	समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब जारी स्थाई परमिट।	**1055**
2	समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब जारी स्थाई परमिट।	**34**
3	समस्त भारतवर्ष के ठेका बस के जारी स्थाई परमिट।	**48**
4	समस्त भारतवर्ष के मोटर कैब के अधिकार पत्रों का नवीनीकरण।	**00**
5	समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब के अधिकार पत्रों का नवीनीकरण।	
6	समस्त भारतवर्ष के ठेका बस के अधिकार पत्रों का नवीनीकरण।	
7	समस्त भारतवर्ष के नवीनीकृत किये गये मोटर कैब परमिटों की संख्या।	**418**
8	समस्त भारतवर्ष के नवीनीकृत किये गये मैक्सी कैब परमिटों की संख्या।	**112**
9	समस्त भारतवर्ष के नवीनीकृत किये गये ठेका बस परमिटों की संख्या।	**20**
10	समस्त उत्तराखण्ड के मोटर कैब के जारी स्थाई परमिट।	**1047**
11	समस्त उत्तराखण्ड के मैक्सी कैब के जारी स्थाई परमिट।	**219**
12	समस्त उत्तराखण्ड के ठेका बस के जारी स्थाई परमिटों की संख्या।	**38**
13	समस्त उत्तराखण्ड के नवीनीकृत किये गये मोटर कैब परमिटों की संख्या।	**97**
14	समस्त उत्तराखण्ड के नवीनीकृत किये गये मैक्सी कैब परमिटों की संख्या	**136**
15	समस्त उत्तराखण्ड के नवीनीकृत किये गये ठेका बस परमिटों की संख्या।	**16**

16	स्टैज कैरिज के जारी किये गये परमिटों की संख्या।	**14**
17	स्टैज कैरिज के नवीनीकृत किये गये परमिटों की संख्या।	**35**
18	उत्तराखण्ड परिवहन निगम के स्टैज कैरिज के नवीनीकृत किये गये परमिटों की संख्या।	**06**

(ग) मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–88(6) में दिये गये प्राविधानानुसार राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य के सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण / सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी स्थायी सवारी / जनभार वाहन परमिटों के प्रतिहस्ताक्षर के संस्तुति पत्रों पर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में संचालन हेतु प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक **01–07–2022 से 31–10–2022** तक विभिन्न प्रदेशों के **185** सवारी / जनभार वाहनों के प्रतिहस्ताक्षर किये गये परमिटों पर पारित आदेशों का अनुमोदन।

(घ) सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक **01–07–2022 से 31–10–2022** तक की अवधि में समस्त भारतवर्ष / उत्तराखण्ड के मोटर / मैक्सी कैब / ठेका बस / स्टैज कैरिज परमिटों को निरस्त करने के सम्बन्ध में प्राप्त **1117** एवं प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में प्राप्त 26 प्रार्थना पत्रों में पारित आदेशों का अनुमोदन।

(च) सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत भारत एवं नेपाल देश के मध्य सम्पन्न हुये परिवहन करार के अन्तर्गत दिनांक **01–07–2022 से 31–10–2022** तक महेन्द्रनगर–देहरादून मार्ग पर नेपाल देश के अधिकृत महाकाली यातायात बस व्यवसायी कम्पनी (प्रा0) लि0 के वाहन संख्या– Na7Kha 5952, Na 7 Kha 5951, Na 7 Kha 5949, Na 7 Kha 3434, Na 7 Kha 3432, Na 8 Kha 1953 को जारी प्रतिहस्ताक्षर परमिटों का अनुमोदन।

(छ) सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मोटर साईकिल किराया योजना, 1997 के अन्तर्गत जारी लाईसेंस **संख्या–141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,**

157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 का अनुमोदन।

मद संख्या–03

(1) मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–82(1) में दिए गए प्राविधान अनुसार हस्तान्तरण के मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक **01–07–2022 से 31–10–2022** तक मोटर कैब/मैक्सी कैब/ठेका बस के परमिटों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में **कुल 453** मामलों पर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत पारित आदेशों का अनुमोदन।

(2) राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक **01–07–2022 से 31–10–2022** तक देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट **संख्या–113, 114** एवं देहरादून–कुल्हाल के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट **संख्या–266, 263** के हस्तान्तरण के कुल 04 मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन।

(3) राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक **01–07–2022 से 31–10–2022** तक की अवधि में सहारनपुर–बडकोट एवं सहबद्ध मार्ग, के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट **संख्या–UK2022/SC/0007A, 153, 165, 176, 181, 187, 188** सहारनपुर–चकराता स्थायी सवारी गाड़ी परमिट **संख्या**–161, 164 एवं सहारनपुर–त्यूनी स्थायी सवारी गाड़ी परमिट **संख्या**–155 के हस्तान्तरण के कुल 10 मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन।

मद संख्या–04

(1) सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक **01–07–2022 से 31–10–2022** तक की अवधि में देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर तथा सम्बन्धित मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट **संख्या–71, 74, 76, 77, 80, 87, 90, 98, 103, 106, 110, 113, 114, 116, 136, 137, 142** एवं देहरादून–कुल्हाल मार्ग के स्थायी सवारी गाड़ी परमिट **संख्या–263, 264, 266** के नवीनीकरण के कुल 20 मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन।

(2) सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत दिनांक **01–07–2022 से 31–10–2022** तक की अवधि में सहारनपुर–बडकोट एवं सहबद्ध मार्ग पर जारी स्थायी सवारी गाड़ी के परमिट संख्या–UK2022-SC-0125A, UK2022-SC-0121A, UK2022-SC-0122A के नवीनीकरण के कुल 03 मामलों में सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुमोदन।

मद संख्या–05

श्री अशोक कुमार, देघाट, अल्मोड़ा के प्रत्यावेदन दिनांक 30–07–2022 पर विचार ।

श्री अशोक कुमार, देघाट, अल्मोड़ा द्वारा एक प्रत्यावेदन दिनांक 30–07–2022 को दिया गया, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि कुमाऊं और गढवाल में परमिट दिए जाने में काफी असमानता है। कुमाऊ मण्डल में बिना मीटिंग में प्रस्तावित किये परमिट निर्गत नहीं किया जा सकता है, जबकि इसी के विपरीत गढ़वाल में यह नियम लागू नहीं है। गढवाल के अभ्यर्थियों को दूसरे दिन ही परमिट निर्गत कर दिए जा रहे है। इनके द्वारा परमिट जारी करने हेतु प्रदेश में एक समान नीति निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि –

1– उपरोक्त प्रत्यावेदन के क्रम में कार्यालय के पत्र दिनांक 27–09–2022 के माध्यम से प्रदेश के समस्त संभागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा परमिट निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में अपनायी जा रही व्यवस्था/नीति की विस्तृत/स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में संभागीय परिवहन प्राधिकारण, देहरादून/पौड़ी/हल्द्वानी एवं अल्मोड़ा द्वारा दिनांक 28–09–2022 को निम्नवत् आख्या प्रेषित की गयी हैः–

क्र. सं.	परमिट का प्रकार	हल्द्वानी	अल्मोड़ा	देहरादून	पौड़ी
1	ठेका गाड़ी	1–**नये परमिट**– ठेका गाडी बस/टैक्सी/मैक्सी वाहनों को नये परमिट संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृत किये जाने के पश्चात। 2–प्राधिकरण, की बैठक दिनांक 27–12–2017 में पारित निर्णय के अनुपालन में यदि वाहन स्वामी द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण में परमिट लेने हेतु आवेदन किया जाता है तो परमिट सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किये जाते है। 3–प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04–03–2021 में पारित निर्णय के अनुपालन में यूटिलिटी वैन	1–**नये परमिट**– ठेका गाडी/टैक्सी/मैक्सी वाहनों को नये परमिट संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृत किये जाने के पश्चात। 2–राज्य परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा टैक्सी/मैक्सी वाहनों के परमिट जो निरस्त किये जाते है, अगर उसी वाहन स्वामी द्वारा संभागीय परिवहन प्राधिकरण का परमिट लेने हेतु आवेदन किया जाता है तो परमिट सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किये जाते है। 3–यूटिलिटी प्रकार के परमिट–	**1–** 7/8 सीटर, चार पहिया छोटी ठेका गाडी वाहन (देहरादून के पॉच ठेका गाड़ी मार्गों पर चलने वाली वाहन)– संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा खुली बैठक में अथवा परिचालन पद्धति से। 2– विक्रम टैम्पों, टैक्सी/मैक्सी/ठेका बस– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 58 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत संभागीय	1–संभागीय परिवहन प्राधिकरण, गढवाल संभाग पौड़ी की बैठक दिनांक 20–02–2009 के मद/संकल्प संख्या–8 के अन्तर्गत यात्री बसों के परमिट स्वीकृत/जारी करने हेतु सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी को अधिकार प्रदत्त है। 2–संभागीय परिवहन प्राधिकरण, गढ़वाल संभाग पौडी की बैठक दिनांक 06–10–2010 के मद/संकल्प संख्या–7 के

क्र. सं.	परमिट का प्रकार	हल्द्वानी	अल्मोड़ा	देहरादून	पौड़ी
		प्रकार के वाहनों के नये परमिट सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा निर्गत किये जा रहे है।	संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26–08–2021 को नैनीताल में आयोजित की गयी थी, जिसमें यूटिलिटी प्रकार के वाहनों के परमिट हेतु सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण को परमिट प्रदान करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गयी।	परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के द्वारा प्रतिनिधायित शक्तियों के अन्तर्गत सचिव के द्वारा खुली नीति से परमिट जारी किये जा रहे है।	अन्तर्गत देहरादून संभाग की भॉति सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी को ठेका प्रकार की वाहनों यथा जीप/टैक्सी/मैक्सी/ यूटिलिटी तथा ठेका वाहन के परमिट स्वीकृत करने हेतु अधिकार प्रदत्त है।
2	स्टेज कैरिज परमिट	**नये परमिट–** स्टैज कैरिज वाहनों के नये परमिट संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में पारित होने के पश्चात।	1–**नये परमिट–** स्टेज कैरिज वाहनों के नये परमिट संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में पारित होने के पश्चात। 2– अस्थायी/विशेष परमिट– जारी करने से सम्बन्धित शक्ति सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण को प्रतिनिहित है।	नगर बस, मैदानी मार्गों पर चलन वाली एवं 7/8 सीटर, चार पहिया छोटी स्टेज कैरिज वाहन– संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा खुली बैठक में अथवा परिचालन पद्धति से।	3–प्राधिकरण के उक्त निर्णयों के अधीन संचिव संभागीय परिवहन प्राधिकरण, गढवाल संभाग, पौडी के द्वारा यात्री बसों एवं ठेका वाहनों के परमिट उदार नीति से जारी किये जा रहे है।
3	माल वाहन परमिट	माल वाहनों को भार एवं राष्ट्रीय परमिट जारी/ नवीनीकरण किये जाने की शक्ति सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी को प्रतिनिहित की गयी है।	1–माल वाहनों एवं राष्ट्रीय परमिट स्वीकृत करने व नवीनीकरण किये जाने की शक्ति सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण को प्रतिनिहित है। 2–अस्थायी परमिट– अस्थायी परमिट के स्वीकृति से सम्बन्धित शक्ति सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण को प्रतिनिहित है।	जनभार/राष्ट्रीय परमिट वाले वाहन (भार वाहन)– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 58 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के द्वारा प्रतिनिधायित शक्तियों के अन्तर्गत सचिव के द्वारा खुली नीति से परमिट जारी किये जा रहे है।	

क्र. सं.	परमिट का प्रकार	हल्द्वानी	अल्मोड़ा	देहरादून	पौड़ी
4	अस्थाई / विशेष परमिट	ठेका गाड़ी / स्टेज कैरिज / माल वाहनों के अस्थाई व विशेष परमिट सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा जारी किये जाते है।	ठेका गाड़ी / टैक्सी / मैक्सी वाहनों को अस्थाई / विशेष परमिट की स्वीकृति से सम्बन्धित शक्ति सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण को प्रतिनिहित की गयी है।	—	
5	परमिट का हस्तान्तरण	स्टेज कैरिज / ठेका वाहन / माल वाहनों के परमिट का हस्तान्तरण की शक्ति सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी को प्रतिनिहित की गयी है।	स्टेज कैरिज / ठेका वाहन / माल वाहनों के परमिट का हस्तान्तरण की शक्ति सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी को प्रतिनिहित की गयी है।	—	
6	स्कूल बस परमिट व प्राईवेट सेवायान एवं विक्रम / टैम्पो	विक्रम / टैम्पो परमिट स्वीकृत करने की सम्बन्धित शक्ति सचिव, सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण को प्रतिनिहित की गयी है।	स्कूल बस परमिट व प्राईवेट सेवायान परमिट स्वीकृत करने की सम्बन्धित शक्ति सचिव, सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण को प्रतिनिहित की गयी है।	विक्रम / टैम्पो / टैक्सी / मैक्सी / ठेका बसें / स्कूल बस / पीपीआरएस परमिट वाली वाहनों को— उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 58 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के द्वारा प्रतिनिधायित शक्तियों के अन्तर्गत सचिव के द्वारा खुली नीति से परमिट जारी किये जा रहे है।	

क्र. सं.	परमिट का प्रकार	हल्द्वानी	अल्मोड़ा	देहरादून	पौड़ी
7	सैट नं0–1 (ऋषिकेश केन्द्र) सैट नं0–4 (उत्तरकाशी केन्द्र) सैट नं0–5 (देहरादून/ विकासनगर केन्द्र) से पहाडी मार्गों पर चलन वाली बसे	—	—	उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 58 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के द्वारा प्रतिनिधायित शक्तियों के अन्तर्गत सचिव के द्वारा खुली नीति से परमिट जारी किये जा रहे है।	

2– उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 62 में ठेका गाड़ियों और प्राईवेट सेवायान के वाहनों के परमिटों के आवेदन पत्र निस्तारण करने के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था की गयी है :–

''राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अपने कारबार का इस प्रकार प्रबन्ध करेगा कि ठेका गाड़ियों और प्राइवेट सेवा यानों के परमिट के लिए आवेदन–पत्रों को साधारणतया प्राधिकरण के कार्यालय में उनकी प्राप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर निस्तारित कर दिया जाये।''

3– मोटरयान अधिनियम, 1988 यथा संशोधित, 2019 की धारा 68 की उपधारा (3) एवं (4) में निम्न व्यवस्था की गयी है :–

राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रत्येक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण धारा 67 के अधीन निकाले गये किन्हीं निदेशों को प्रभावी करेगा तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुये और इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित को छोड़कर राज्य में सर्वत्र निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्–

(क) यदि राज्य को कोई प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (RTA) है तो उसके क्रियाकलापों और नीतियों का समन्वयन और विनियमन ;

(ख) जहां कोई प्रादेशिक प्राधिकरण (RTA) नहीं है वहां ऐसे प्राधिकरण के कर्त्तव्यों का पालन करना और यदि वह ठीक समझता है या किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दो या अधिक प्रदेशों के लिये किसी सामान्य मार्ग की बाबत उन कर्त्तव्यों का पालन करना;

(ग) उन सब विवादों का निपटारा और उन सब मामलों का विनिश्चय करना जिन पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों के बीच मतभेद पैदा हो; और

(ग क) मंजिली गाडियों को चलाने के लिये सरकार द्वारा मार्गों का विनिश्चय किया जाना।

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन जो विहित किये जाएं।

(4) उपधारा (3) के विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन से राज्य परिवहन प्राधिकरण ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जांए, किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (RTA) को निदेश दे सकेगा और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (RTA) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में ऐसे निदेशों को प्रभावी करेगा और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेगा।

अतः प्राधिकरण प्रकरण पर विचार व आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–06

उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 के अन्तर्गत ओला एवं ऊबर को लाईसेंस निर्गत किये जाने पर विचार।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि –

1– ए0एन0आई0 टैक्नोलॉजीस प्रा0लि0 (ओला), 82, नैशविला रोड, आरती कॉम्पलैक्स, देहरादून एवं श्री शिवा शैलेन्द्रन, जनरल मैनेजेर, नोर्थ एण्ड वैस्ट इंडिया, ऊबर इण्डिया सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड द्वारा उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 के अन्तर्गत लाईसेंस निर्गत करने हेतु आवेदन दिये गये थे,

जिन्हें प्राधिरकरण की बैठक दिनांक 13–07–2020 मद/संकल्प संख्या–6 के अन्तर्गत विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया :–

''सम्यक् विचारोंपरान्त उपरोक्त प्रत्यावेदनों को स्वीकार किया जाता है। सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक ए0एन0आई0 टैक्नोलॉजीस प्रा0लि0 एवं श्री शिवा शैलेन्द्रन, जनरल मैनेजेर, नोर्थ एण्ड वैस्ट इंडिया, ऊबर इण्डिया सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड के प्रत्यावेदनों का उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 के अन्तर्गत परीक्षण करते हुये, सभी औपचारिकतांए पूर्ण करने पर लाईसेंस निर्गत करें।''

2– प्राधिकरण के उपरोक्त आदेश के कम में ए0एन0आई0 टैक्नोलॉजीस प्रा0लि0 एवं श्री शिवा शैलेन्द्रन, जनरल मैनेजेर, नोर्थ एण्ड वैस्ट इंडिया, ऊबर इण्डिया सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड द्वारा उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 के अन्तर्गत समस्त औपचारिकतांए पूर्ण कर ली गयी हैं।

3– उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 में संशोधन हेतु आलेख शासन को दिनांक 12–08–2022 को प्रेषित किया गया है, जो कि शासन स्तर पर विचाराधीन है।

अतः प्राधिकरण प्रकरण पर विचार व आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–07

(1) मै0 माउण्टेन फाक्स एडवेन्चर U/C श्री मनीष भण्डारी, तपोवन, ऋषिकेश के ''मोटर साईकिल किराया योजना'' के अन्तर्गत जारी लाईसेंस संख्या–02/2015 के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र दिनांक 06–12–2021 के आवेदन पत्र पर विचार।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मै0 माउण्टेन फाक्स एडवेन्चर U/C श्री मनीष भण्डारी, तपोवन, ऋषिकेश को ''मोटर साईकिल किराया योजना'' के अन्तर्गत लाईसेंस संख्या–02/2015 वैधता दिनांक 21–05–2015 से 20–05–2020 तक जारी

किया गया था, किन्तु आवेदक द्वारा नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र दिनांक 06–12–2021 को दिया गया, जो कि 01 वर्ष 06 माह 16 दिन विलम्ब है।

उल्लेखनीय है कि मोटर साईकिल किराया योजना, 1997 के पैरा–4 में लाईसेंस प्रदान करने अथवा नवीनीकरण हेतु प्रारूप–1 में आवेदन किये जाने की व्यवस्था की गयी है, किन्तु आवेदक द्वारा उक्त प्रारूप–1 में आवेदन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा दिनांक 06–12–2021 लगभग 01 वर्ष 06 माह 16 दिन से नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है एवं विलम्ब से दिये गये नवीनीकरण के आवेदन पर विचार हेतु कोई नीति निर्धारित नहीं है। सुलभ संदर्भ हेतु लाईसेंस नवीनीकरण हेतु निम्न व्यवस्था है :–

> *"Application for grant or renewal of licence.—An application for the grant or renewal of a licence under paragraph 6 shall be made in Form 1 to the licensing authority having jurisdiction in the area in which he resides or has his principal place of business and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand."*

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

(2) श्री शालीन गोयल पुत्र स्व0 श्री रविन्द्र कुमार गोयल, निवासी शालीन स्टोर, 1, मालव्यू शॉप, किताबघर, गॉधी चौंक, मसूरी, देहरादून के ''मोटर साईकिल किराया योजना'' के अन्तर्गत जारी लाईसेंस संख्या–03/2016 के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र दिनांक 29–07–2022 के आवेदन पत्र पर विचार।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री शालीन गोयल पुत्र स्व0 श्री रविन्द्र कुमार गोयल, निवासी शालीन स्टोर, 1, मालव्यू शॉप, किताबघर, गॉधी चौंक, मसूरी, देहरादून को ''मोटर साईकिल किराया योजना'' के अन्तर्गत जारी लाईसेंस

संख्या—03/2016 वैधता दिनांक 30—05—2015 से 29—05—2021 तक जारी किया गया था। आवेदक द्वारा नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र दिनांक 29—07—2022 को दिया गया, जो कि 01 वर्ष 02 माह 05 दिन विलम्ब है।

उल्लेखनीय है कि मोटर साईकिल किराया योजना, 1997 के पैरा—4 में लाईसेंस प्रदान करने अथवा नवीनीकरण हेतु प्रारूप—1 में आवेदन किये जाने की व्यवस्था की गयी है, किन्तु आवेदक द्वारा उक्त प्रारूप—1 में आवेदन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा दिनांक 29—07—2022 लगभग 01 वर्ष 02 माह 05 दिन विलम्ब से नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है एवं विलम्ब से दिये गये नवीनीकरण के आवेदन पर विचार हेतु कोई नीति निर्धारित नहीं है। सुलभ संदर्भ हेतु लाईसेंस नवीनीकरण हेतु निम्न व्यवस्था है :—

> *"Application for grant or renewal of licence.—An application for the grant or renewal of a licence under paragraph 6 shall be made in Form 1 to the licensing authority having jurisdiction in the area in which he resides or has his principal place of business and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand."*

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

(3) श्री अशोक सिंह मेहता पुत्र स्व श्री सोहन सिंह मेहता, पता कैन्तूरा प्लाजा, बद्रीनाथ रोड़, तपोवन, ऋषिकेश के ''मोटर साईकिल किराया योजना'' के अन्तर्गत जारी लाईसेंस संख्या—05/2015 के नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र दिनांक 22—08—2022 के आवेदन पत्र पर विचार।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री अशोक सिंह मेहता पुत्र स्व श्री सोहन सिंह मेहता, पता कैन्तूरा प्लाजा, बद्रीनाथ रोड़, तपोवन, ऋषिकेश को ''मोटर साईकिल किराया योजना'' के अन्तर्गत जारी लाईसेंस संख्या—05/2015 वैधता दिनांक 15—06—2016 से 14—06—2021 तक जारी किया गया था। आवेदक द्वारा नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र दिनांक 22—08—2022 को दिया गया, जो कि 01 वर्ष 02 माह 08 दिन विलम्ब है।

उल्लेखनीय है कि मोटर साईकिल किराया योजना, 1997 के पैरा–4 में लाईसेंस प्रदान करने अथवा नवीनीकरण हेतु प्रारूप–1 में आवेदन किये जाने की व्यवस्था की गयी है, किन्तु आवेदक द्वारा उक्त प्रारूप–1 में आवेदन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा दिनांक 22–08–2022 लगभग 01 वर्ष 02 माह 08 दिन विलम्ब से नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है एवं विलम्ब से दिये गये नवीनीकरण के आवेदन पर विचार हेतु कोई नीति निर्धारित नहीं है। सुलभ संदर्भ हेतु लाईसेंस नवीनीकरण हेतु निम्न व्यवस्था है :–

> *"Application for grant or renewal of licence.—An application for the grant or renewal of a licence under paragraph 6 shall be made in Form 1 to the licensing authority having jurisdiction in the area in which he resides or has his principal place of business and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand."*

अतः प्राधिकरण मामले पर विचार कर आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–08

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून द्वारा पत्र संख्या–2470/प्रवर्तन/2022 दिनांक 05–09–2022 के माध्यम से अवगत कराया गया कि श्री के0ए0पाल 100/4, श्रीरामपुरम लेन नं0–2, कांवली रोड, देहरादून द्वारा वाहन संख्या–यूके07टीबी–6819 को दिनांक 30–09–2022 को कनक ट्रैवल्स से बागेश्वर के लिये रू0 7500.00 में बुक कराया गया था। दिनांक 30–09–2022 को टैक्सी चालक उनको लेकर बागेश्वर गया था। टैक्सी चालक द्वारा रास्ते में गाडी में तेल भरवाने के लिये उनसे रू0 3000.00 लिये गये तथा बागेश्वर पंहुचने पर उनसे रू0 7500.00 भी मांगे। जिस पर आपत्ति करने पर उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। परिवार के सदस्य होने पर उस समय झगडा करना उचित नहीं समझा तथा पैसे दे दिये। बाद

में उनके द्वारा इस सम्बन्ध में टैक्सी स्वामी से फोन पर बात की गयी तो उनके द्वारा पैसे लौटाने की बात कही गयी, किन्तु उनके द्वारा पैसे नहीं लौटाये गये।

उक्त शिकायत प्राप्त होने पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, देहरादून द्वारा पत्र संख्या–2754/टीआर/2020 दिनांक 29–12–2020 के माध्यम से वाहन स्वामी को नोटिस प्रेषित करते हुये अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 01–04–2022 को अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक नहीं पाया गया। वाहन स्वामी को पुनः दिनांक 26–07–2022 को नोटिस प्रेषित किया गया, किन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून द्वारा वाहन स्वामी को प्रेषित नोटिसो के क्रम में संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत न किये जाने के दृष्टिगत परमिट के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति करते हुये वाहन के परमिट के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वाहन स्वामी को राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा समस्त भारतवर्ष के मैक्सी कैब परमिट संख्या–UK/AITP/19/2710 निर्गत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 08–11–2019 से 07–11–2024 है, जिस पर वाहन संख्या–UK07TD6819 संचालित है।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–3898/एसटीए/दस–12/2022 दिनांक 29–09–2022 के द्वारा परमिट धारक श्रीमती निधि भण्डारी पत्नी श्री मनवर सिंह भण्डारी निवासी 15 दिव्या विहार, लेन0–2 राजीव नगर नत्थनपुर, देहरादून को पंजीकृत डाक के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रेषित करने हेतु अवसर प्रदान किया गया, किन्तु पत्र ''Unclaimed return to sender'' की टिप्पणी के साथ वापस प्राप्त हुआ है।

उल्लेखनीय है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा टूरिस्ट परमिट मोटर कैब में यह शर्त अधिरोपित है ''यात्रियों से वसूल किया किराया किसी भी दशा में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–67(1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचना किराया दरों से अधिक नहीं होगा।''

मोटरयान अधिनियम–1988 की धारा–86 में परमिटों के विरूद्ध धारा–86 की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया है:–

(1) जिस परिवहन प्राधिकरण ने परमिट दिया है वह निम्नलिखित दशाओं में परमिट रद्द कर सकेगा या इतनी अवधि के लिए निलम्बित कर सकेगा, जितना वह ठीक समझे।

(ख) यदि परमिट का धारक किसी यान का उपयोग किसी ऐसी रीति से करता है या कराता है या करने देता है, जो परमिट द्वारा प्राधिकृत नहीं है।

x x x

परन्तु कोई भी परमिट तब तक निलम्बित या रद्द नहीं किया जायेगा जब तक परमिट के धारक को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर न दे दिया गया हो।

(3) जहॉ परिवहन प्राधिकरण किसी परमिट को रद्द या निलम्बित करता है वहां वह की गई कार्यवाही के बारे में अपने कारण उसके धारक को लिखित रूप से देगा।

(5) जहां कोई परमिट उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ङ) के अधीन रद्द या निलम्बित किए जाने योग्य है और परिवहन प्राधिकरण की यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परमिट को इस प्रकार रद्द या निलम्बित करना उस दशा में आवश्यक या समीचीन न होगा जब परमिट का धारक एक निश्चित धनराशि देने के लिए सहमत हो जाता है वहां उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी परिवहन प्राधिकरण, यथास्थिति, परमिट को रद्द या निलम्बित करने के बजाय परमिट के धारक से वह धनराशि वसूल कर सकेगा जिसके बारे में सहमति हुई है।

अतः प्राधिकरण प्रकरण पर विचार व आदेश पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–09

श्री तुषार अग्रवाल उप संस्थापक, एडवेन्चर ओवरलैंड के ई–मेल दिनांक 18–10–2022 द्वारा मोटरकैब को किराये पर देने हेतु लाईसेंस प्रदान किये जाने के प्रत्यावेदन पर विचार।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–75 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा मोटरकैब को उन व्यक्तियों को, जो अपने उपयोग के लिए मोटरकैब चलाना चाहते हैं, किराये पर देने के व्यापार और उससे सम्बन्धित मामलों का विनियमित करने के लिए **''रेन्ट ए कैब (स्कीम), 1989''** बनायी गयी है, जो दिनांक 01–07–1989 से प्रभावी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–75 में निम्न व्यवस्था है :–

75. Scheme for renting of motor cabs.—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make a scheme for the purpose of regulating the business of renting of 1[motor cabs or motor cycles to persons desiring to drive either by themselves or through drivers, motor cabs or motor cycles] for their own use and for matters connected therewith.

(2) A scheme made under sub-section (1) may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) licensing of operators under the scheme including grant, renewal and revocation of such licences;

(b) form of application and form of licences and the particulars to be contained therein;

(c) fee to be paid with the application for such licences;

(d) the authorities to which the application shall be made;

(e) condition subject to which such licences may be granted, renewed or revoked;

(f) appeals against orders of refusal to grant or renew such licences and appeals against orders revoking such licences;

(g) conditions subject to which motor cabs may be rented;

(h) maintenance of records and inspection of such records;

(i) such other matters as may be necessary to carry out the purposes of this section.

उपरोक्त के क्रम में **रेन्ट ए कैब** के विनियमित करने के लिए **''रेन्ट ए कैब (स्कीम), 1989''** बनायी गयी है, जो दिनांक 01—07—1989 से प्रभावी है। वर्तमान में उक्त व्यवस्था को उत्तराखण्ड राज्य में लागू किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया गया है।

अतः प्राधिकरण प्रकरण पर विचार व आदेश पारित करने का कष्ट करें।

<u>मद संख्या—10</u>

व्यवसायिक वाहनों के यात्री किराये एवं मालभाडे की दरों में वृद्धि पर विचार।

परिवहन निगम एवं विभिन्न परिवहन व्यवसायियों द्वारा वाहनों की कीमतों, ईंधन, बीमा, मरम्मत के मद में वृद्धि, वाहनों की फिटनेस, चालक लाईसेंसों के नवीनीकरण की फीस एवं अन्य मदों की फीस में वृद्धि होने के दृष्टिगत मंजिली गाड़ी, ठेका गाडी, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, ठेका बस, मालयान, ऑटो रिक्शा, टैम्पो एवं ई—रिक्शा आदि के किराये में वार्षिक वृद्धि किये जाने का समय—समय पर अनुरोध किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा—67(1)(घ)(1) के परिवहन निगम की स्वामित्व की वाहनों के साथ—साथ व्यवसायिक वाहनों के यात्री किराये एवं मालभाडे की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को अधिकृत किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13—07—2022 के मद/संकल्प संख्या—07 में पारित आदेशों के क्रम में अधिसूचना संख्या—2744/एस0टी0ए0/दस—82/2022 दिनांक 15—07—2022 द्वारा मंजिली गाड़ी, ठेका गाडी, टैक्सी कैब, मैक्सी कैब, ठेका बस, मालयान, ऑटो रिक्शा, टैम्पो, ई—रिक्शा एवं मोटर साईकिल किराया योजना के अन्तर्गत संचालित वाहनों के लिये यात्री किराया एवं मालभाडें की दरें निर्धारित की गयी हैं।

यह भी अवगत कराना है कि अधिसूचना संख्या–309 / ix-1 / 2022 दिनांक 04–10–2022 के माध्यम से नगर निकाय (नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत) की सीमा के भीतर अनन्य रूप से नगर बस सेवा के रूप में संचालित मंजिली गाड़ियों एवं उत्तराखण्ड परिवहन निगम की वाहनों को मैदानी मार्ग के लिए निर्धारित दर का एक चौथाई निर्धारित किया गया है।

कृपया प्राधिकरण प्रकरण पर विचार व आदेश पारित करने का कष्ट करें।

अन्य मद संख्या–11

अध्यक्ष, महोदय की अनुमति से।

(सनत कुमार सिंह)
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।